

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-Section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1969/फाल्गुन 10, 1890

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1969/PHALGUNA 10, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 1st March 1969

G.S.R. 572.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 161-Customs, dated the 1st October, 1965 and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 96-Customs, dated the 6th June, 1966.

[No. 39/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 573.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 152-Customs, dated the 16th September, 1965.

[No. 40/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 574.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 8(2) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from so much of that portion of the duty of customs (which is specified in the aforesaid First Schedule) leviable thereon as is in excess of—

- (a) the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table where the standard rate of duty is leviable; and
- (b) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table where the preferential rate of duty is leviable.

THE TABLE

Serial No.	Name of article	Standard rate of duty.	Preferential rate of duty.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dates, dry, excluding seedless—		
	(a) Shekra or Shakeria, Sakina and Brami.	Rs. 150.00 per quintal	Rs. 150.00, per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .
	(b) Kapkapā, Chharra, Chupcha, Sarki, Sori, Omani and Bhatni.	Rs. 100.00 per quintal	Rs. 100.00 per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .
	(c) All other qualities.	Rs. 70.00 per quintal	Rs. 70.00 per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .
2	Dates, wet, excluding seedless, in bags, baskets, gunny cloth or matting bundles.	Rs. 30.00 per quintal.	Rs. 30.00 per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .

[No. 41/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 575.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts fruits, dried (salted and all other kinds), other than dates not being seedless, when imported into India (whether on outright sale or for being sold on behalf of the exporter) and falling under Item No. 8(2) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from so much of that portion of the duty of customs (which is specified in the aforesaid First Schedule) leviable thereon as is in excess of the amount which represents 60 per cent of the value of such goods calculated in accordance with rule 7 of the Customs Valuation Rules, 1963.

[No. 42/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 576.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 104-Customs, dated the 6th June, 1966, namely:—

In the Table annexed to the said notification,—

- (i) in the entries against Serial No. 71 [relating to Item No. 27(8) in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934], in column (3), for the figures and words "15 per cent *ad valorem*", the figures and words "27½ per cent *ad valorem*" shall be substituted; and
- (ii) Serial Nos. 306, 307, 308 [relating to Items Nos. 72(35), 72(36), 72(37) and 72(38), in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934, respectively] and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 43/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 577.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under the Item of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs (which is specified in the aforesaid First Schedule) leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rate specified in the corresponding entry in column (4) thereof.

THE TABLE

Serial Number	Name of the Article	Item No. of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ball bearings (including adapter ball bearings) not exceeding 60 millimetres bore diameter.	72(35)	60 per cent <i>ad valorem</i> .
2	Ball bearings (including adapter ball bearings) exceeding 60 millimetres bore diameter.	72(36)	27½ per cent <i>ad valorem</i> .
3	Roller bearings (excluding adapter roller bearings) not exceeding 85 millimetres bore diameter.	72(37)	50 per cent <i>ad valorem</i> .
4	Roller bearings exceeding 85 millimetres bore diameter and adapter roller bearings of all sizes.	72(38)	27½ per cent <i>ad valorem</i> .

[No. 44/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 578.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following amendment shall be made in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25-Customs, dated the 1st March, 1964 relating to motor-cars including taxi cabs, completely assembled (falling under Item No 75(1) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934), namely:—

In the said Notification, for the figures and words "60 per cent. *ad valorem*", the figures and words "100 per cent. *ad valorem*" shall be substituted.

[No. 45/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 579.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods (other than tobacco products) falling under Item No. 87B of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from the whole of the additional duty leviable thereon under section 2A of the second mentioned Act.

[No. 46/F. No. Bud.(Cus.)/69.]

G.S.R. 580.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Serial No.	Customs notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	60-Customs dated the 13th April, 1968	For the words "from the whole of the duty of customs leviable thereon", the words "from the whole of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule" shall be substituted.
a	66-Customs dated the 18th May, 1968.	For the words "from the whole of the duty of customs leviable thereon", the words "from the whole of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule" shall be substituted.

[No. 47/F. No. Bud(Cus)/69.]

G.S.R. 581.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from the special duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 27 of the Finance Bill, 1969, which sub-clause has, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law.

[No. 48/F. No. Bud(Cus)/69.]

G.S.R. 582.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 89-Customs, dated the 19th June, 1968, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the articles specified in column (2) of the Table below, and falling under Item No. 2 of the Second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of the duty leviable at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Serial No.	Description of article	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1	Hessian cloth and bags :	Rs.
	(a) carpet backing;	600 per tonne ¹
	(b) Other hessian cloth and bags excluding jute specialities.	Rs. 200 per tonne.
2	Jute canvas, jute webbings, jute tarpaulin cloth and manufactures thereof.	Rs. 500 per tonne.

(1)	(2)	(3)
3 Jute specialities, namely :—		
(i) Polythene laminated or extrusion coated or paper-cum-polythene lined jute fabrics and bags made therefrom, whose F. A. S. value (a) is not less than Rs. 2500 per tonne in respect of sacking-based cloth and bags, and (b) not less than Rs. 3000 per tonne in respect of other bags and cloth;	Nil.	
(ii) Jute manufactures, whose F.A.S. value is in excess of the F.A.S. value of Hessian of 40" x 10 ozs. by not less than Rs. 1,502 per tonne, excluding carpet backing, jute webbing, jute canvas, jute tarpaulin cloth and manufactures thereof.	Nil.	
4 Sacking cloth and bags :		
(a) wool sacks;	Nil.	
(b) cotton bagging;	Nil.	
(c) other sacking cloth and bags not otherwise specified.	Rs. 150 per tonne.	
5 Twist, yarn not covered by Serial No. 3(ii) above, rope and twine not otherwise specified.	Rs. 150 per tonne	
6 All other descriptions of jute manufactures not otherwise specified, falling under sub item (iii) of Item 2 of the Second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).	Rs. 150 per tonne.	

[No. 49/F. No. Bud(Cus)/69.]

G.S.R. 583.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 143-Customs, dated the 1st October, 1968, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tea falling under Item No. 5 of the Second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of 15 per cent *ad valorem* reduced by 55 paise per kilogram or Rs. 1.70 per kilogram, whichever is less.

[No. 50/F. No. Bud(Cus)/69.]

G.S.R. 584.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 86-Customs, dated the 7th August, 1967, namely:—

In the Table annexed to the said notification,

- (i) in column (3), against S. No. 1, for the existing entry, the entry "Nil" shall be substituted; and
- (ii) in column (3), against S. No. 2, for the existing entry, the entry "5 per cent *ad valorem* or Rs. 1.70 per kilogram, whichever is less" shall be substituted.

[No. 51/F. No. Bud(Cus)/69.]

G.S.R. 585.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts mica loose splittings of grades Nos. 5½ and 6 and falling under Item No. 25 of the Second Schedule to the Indian Tariff, Act, 1934 (32 of 1934), from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of 20 per cent *ad valorem*.

[No. 52/F. No. Bud(Cus)/69.]

G.S.R. 586.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101-Customs, dated the 6th June, 1966, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, for S. No. 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
4	(i) Degreased raw wool	12	Nil.
	(ii) other raw wool.	12	10 percent <i>ad valorem</i> ."

[No. 53/F. No. Bud(Cus)/69.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1969

सा० का० नि०:587—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 1 अक्टूबर, 1965 की अधिसूचना संख्या 161—सीमाशुल्क को और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 6 जून, 1966 की अधिसूचना सं० 96—सीमाशुल्क को एतद्वारा विखंडित करती है।

[सं० 39/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सा० का० नि०:588—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 16 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना सं० 152—सीमाशुल्क, को एतद्वारा विखंडित करती है।

[सं० 40/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सा० का० नि०:589—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लाकहित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद 8 (2) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं में से हर एक को उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के (जो पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना निम्नलिखित से अधिक है :—

(क) जहाँ कि मानक दर से शुल्क उद्ग्रहणीय है वहाँ उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर; तथा

(ख) जहाँ कि अधिमानी दर से शुल्क उद्ग्रहणीय है वहाँ उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का नाम	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अधिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सूखे खजूर, बीज रहित खजूरों को छोड़कर	—	—
(क)	शकरा या शकेरिया, सकीना और ब्रामी	150.00 रु० प्रति क्विंटल	150.00 रु० प्रति क्विंटल में से मूल्य का 10 प्रतिशत घटा कर शेष।
(ख)	कपकपा, छर्दी, चुपचाप, सरकी, सौरी, ओमानी तथा भटनी	100.00 रु० प्रति क्विंटल	100.00 रु० प्रति क्विंटल में से मूल्य का 10 प्रतिशत घटा कर शेष।
(ग)	सब अन्य किस्में	70.00 रु० प्रति क्विंटल	70.00 रु० प्रति क्विंटल में से मूल्य का 10 प्रतिशत घटा कर शेष।
2.	खजूर (गीले), बीजरहित को छोड़कर, जो बोरों, धैलों, टोकरियों अथवा टाट या चटाई के बंडलों में हों।	30.00 रु० प्रति क्विंटल	30.00 रु० प्रति क्विंटल में से मूल्य का दस प्रतिशत घटा कर शेष।

सा० का० नि० 590:—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 8 (2) के अन्तर्गत आने वाले (सवणित और सब अन्य किस्मों के) शुष्क फलों को, जो बीज रहित से भिन्न खजूर न हों, (चाहे सीधे विक्रय पर या निर्यातकर्ता की ओर से बेचे जाने के लिये) जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के (जो पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उस रकम से अधिक हो जो ऐसे माल के सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम, 1963 के नियम 7 के अनुसार परिकलित मूल्य के 60 प्रतिशत के बराबर हो।

[सं० 42 / फ० सं० ब० (सी०) / 69.]

सा० का० नि० 59:—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 6 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या 104—सीमाशुल्क में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में:—

- (1) [भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27^१ (8) से सम्बन्धित] क्रम सं० 71 के सामने की प्रविष्टियों में तीसरे स्तम्भ में “मूल्य का 15 प्रतिशत” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मूल्य का 27.5 प्रतिशत” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (II) [भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 72 (35) 72 (36), 72 (37) और 72 (38) से क्रमशः सम्बन्धित] क्रम सं० 306, 307, 308 और 309 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

[सं० 43/फ० सं० ब० (सी०) 69.]

सा० का० नि० 592:—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की उस मद के जो उक्त सारणी के स्तंभ (घ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं, में से हर एक को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के (जो पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उसके स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का नाम	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद सं०	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बाल बेयरिंग (जिनके अन्तर्गत एडाप्टर बाल बेयरिंग आते हैं) जिनका बोर व्यास 60 मिलीमीटर से अधिक नहीं है	72(35)	मूल्य का 60 प्रतिशत।
2.	बाल बेयरिंग (जिनके अन्तर्गत एडाप्टर बाल बेयरिंग आते हैं) जिनका बोर व्यास 60 मिलीमीटर से अधिक है।	72(36)	मूल्य का 27½ प्रतिशत।
3.	रोलर बेयरिंग (एडाप्टर रोलर बेयरिंग को छोड़ कर) जिनका बोर व्यास 85 मिलीमीटर से अधिक नहीं है।	72(37)	मूल्य का 60 प्रतिशत।
4.	रोलर बेयरिंग जिनका बोर व्यास 85 मिलीमीटर से अधिक है तथा सब आकार के एडाप्टर रोलर बेयरिंग।	72(38)	मूल्य का 27½ प्रतिशत।

[सं० 44/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सं० फा० नि० : 593—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1964 की अधिसूचना सं० 25 सीमाशुल्क में, जो पूर्णतः समुच्चयित मोटर कारों से, जिनके अन्तर्गत टैक्सी कैब हैं, (जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 75 (1) के अन्तर्गत आती है) सम्बन्धित है, निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “मूल्य का 60 प्रतिशत” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मूल्य का 100 प्रतिशत” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 45/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सां. कां. निं. : 594—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 87ख के अन्तर्गत आने वाले (तम्बाकू उत्पादों से भिन्न) सब माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, द्वितीयोक्त अधिनियम की धारा 2क के अधीन उदग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० 46/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सां. कां. निं. : 595—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाएं जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की नस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम सं०	सीमाशुल्क अधिसूचना की तारीख और सं०	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	13 अप्रैल, 1968 की सं० 60—सीमाशुल्क	“उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से” शब्दों के स्थान पर “उस पर उदग्रहणीय सीमाशुल्क के उस संपूर्ण भाग से, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है,” शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।
2.	18 मई, 1968 की सं० 66—सीमाशुल्क	“उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से” शब्दों के स्थान पर “उस पर उदग्रहणीय सीमाशुल्क के उस संपूर्ण भाग से, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है,” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 47/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सां. कां. निं. : 596—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सब माल को उस पर वित्त विधेयक, 1969 के खण्ड 27 के उपखण्ड (1) के अधीन, जो उपखण्ड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उदग्रहणीय विशेष सीमाशुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० 48/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सां० कां० नि० : 597—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 19 जून, 1968 की अधिसूचना सं० 89—सीमा-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की द्वितीय अनुसूची की मद सं० 2 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को, उन पर उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है जितना कि उक्त सारणी के स्तंभ (3) का तत्स्थान प्राविष्ट में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1	हेशन कपड़ा और थैले	
	(क) कालीन का पीछे का भाग	600 रु० प्रति टन
	(ख) अन्य हेशन कपड़ा और थैले, पटसन की विशिष्ट निर्मितियों को छोड़कर	200 रु० प्रति टन
2	पटसन की किरमिच, पटसन की पट्टियाँ, पटसन का त्रिपाल का कपड़ा और उनकी विनिर्मितियाँ	500 रु० प्रति टन
3	पटसन की विशिष्ट निर्मितियाँ, अर्थात् :—	
	(i) पटसन के फेब्रिक जो प लिथान से स्तरिकामय या निःसवण-विलेपित या कागज एवं पालीथीन कड़ा हुआ है, और उसके बने थैले, जिनका आपोत मूल्य (क) टाट और उसके थैलों के बारे में 2,500 रु० प्रति टन से कम नहीं है, और (ख) अन्य थैलों और कपड़ों के बारे में 3,000 रु० प्रति टन से कम नहीं है	कुछ नहीं
	(ii) पटसन की विनिर्मितियाँ, जिनका आपोत मूल्य 40" × 10" के हेशन के आपोत मूल्य को तुलना में कम से कम 1250 रु० प्रति टन अधिक है, किन्तु कालीन का पीछे का भाग, पटसन की पट्टियाँ, पटसन की किरमिच, पटसन का त्रिपाल का कपड़ा और उनकी विनिर्मितियों को छोड़कर	कुछ नहीं
4	टाट और उसके थैले	
	(क) ऊनी बोखियाँ	कुछ नहीं
	(ख) सूती थैलों का कपड़ा	कुछ नहीं

(1)

(2)

(3)

- (ग) अन्य टाट और उसके घने, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं . 150 रु० प्रति टन
- 5 बटा धागा जो ऊपर के क्रम सं० (ii) के अन्तर्गत नहीं आता, रस्सी और डोरी जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं . . . 150 रु० प्रति टन
- 6 सब अन्य प्रकार को पटसन को विनिर्मितियां जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की द्वितीय अनुसूची की मद 2 को उपमद (iii) के अन्तर्गत आती हैं

[सं० 49/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सा० का० नि० : 598—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना सं० 143—सीमाशुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की द्वितीय अनुसूची की मद सं० 5 के अन्तर्गत आने वाली चाय को, उस पर उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देनी है जिसका मूल्य के 15 प्रतिशत में से 55 पैसे प्रति किलोग्राम घटाने पर शेष या 1' 70 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, से अधिक हो।

[सं० 50/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सा० का० नि० : 599—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 7 अगस्त, 1967 की अधिसूचना सं० 86—सीमा शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में—

- (i) क्रम सं० 1 के सामने, स्तंभ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर “कुछ नहीं” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी; तथा
- (ii) क्रम सं० 2 के सामने, स्तंभ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 1' 70 रु० प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 51/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सा० का० नि० :600—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की द्वितीय अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आने वाली अध्रक ग्रेड सं० 5½ और 6 के पत्तों को, उन पर उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देनी है, जितना मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक हो।

[सं० 52/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

सा० का० नि० :601—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 6 जून, 1966 की अधिसूचना सं० 101—सीमाशुल्क में निम्नलिखित और संशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 4 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	(i) अपवसायित अपरिष्कृत ऊन	12	कुछ नहीं
	(ii) अन्य अपरिष्कृत ऊन	12	मूल्य का 10 प्रतिशत

[सं० 53/फ० सं० ब० (सी०)/69.]

एम० जी० अब्बोल, सयुक्त सचिव।

